

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत)

खुली नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय मे लगभग 25 क्विंटल लकड़ी की खुली बोली दिनांक 12.02.2024 को सुबह 11.00 बजे विश्वविद्यालय के प्रांगण में की जाएगी। नीलामी की नियम व शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.bpswomenuniversity.ac.in](http://www.bpswomenuniversity.ac.in) पर देखी जा सकती हैं ।

कुलसचिव

## नीलामी के नियम व शर्तें

1. लकड़ी की नीलामी जैसा है, जहां है के आधार पर होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु बोली दाता को दस हजार रूपए मात्र धरोहर राशि के रूप में बोली आरम्भ होने से पहले नगद जमा करवानी होगी। यह राशि बोली समाप्त होने पर असफल बोली दाताओं को उसी समय वापस कर दी जायेगी।
3. सबसे उच्च बोली लगाने वाली फर्म/व्यक्ति के नाम नीलामी छोड़ी जायेगी तथा सफल बोली दाता को तीन दिन के अन्दर नीलामी की पूरी धनराशि जमा करवाकर सम्पूर्ण सामान उठाना होगा। यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी की सामग्री का उठान नहीं करता तो उसकी अग्रिम धरोहर /सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी व बोली दाता के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. बोली किए जाने वाली लकड़ी का निरक्षण किसी भी कार्य दिवस पर 10.00 बजे से 4.00 बजे तक किया जा सकता है।
5. केवल उन्हीं व्यक्तियों को बोली में शामिल किया जायेगा जिनके पास प्रमाणित फोटोयुक्त पहचान-पत्र (जैसे-पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स), आधार कार्ड आदि होगा।
6. किसी भी प्रकार का टैक्स खर्च या उठान खर्च सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा।
7. लकड़ी को उठाने पर होने वाले खर्च का वहन सफल बोलीदाता को करना होगा।
8. बोलीदाता अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उत्तरता है, तो उसे हमेशा के लिये काली सूची में डाल दिया जायेगा।
9. नीलामी की कोई अन्य शर्त होगी तो उसे बोली स्थल पर ही सुनाया / बताया जायेगा।
10. कुलसचिव को किसी भी नीलामी को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार होगा।
11. सभी प्रकार के विवादों का निपटान का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय का होगा।
12. यदि किसी कारणवश नीलामी के दिन अवकाश घोषित हो जाता है तो नीलामी अगले दिन होगी।
13. बिना कारण बताए बोली रद्द करने का एकाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।

कुलसचिव